भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2695

04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पीएम ई-ड्राइव योजना का कार्यान्वयन

2695. **श्री परिमल शुकलाबैद्यः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम, विशेषकर कछार जिले में पीएम ई-ड्राइव योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है और पंजीकृत विद्युत वाहनों की संख्या कितनी है तथा कितने प्रतिपूर्ति दावों पर कार्रवाई की गई है;

(ख) कछार जिले, गुवाहाटी-सिलचर राजमार्ग एवं असम के अन्य प्रमुख गलियारों पर स्वीकृत, स्थापित तथा परिचालित सार्वजनिक विद्युत वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असम, विशेषकर कछार जिले में विद्युत वाहनों को अपनाए जाने से ईंधन की बचत तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हुई कमी का आकलन किया है; और

(घ) कछार जिले तथा असम के अन्य भागों में विद्युत गतिशीलता (मोबिलिटी) को बढ़ावा देने, चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक परिवहन एवं वाणिज्यिक विद्युत वाहनों को अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-ड्राइव को अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है और स्कीम के तहत कोई राज्य-वार वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। असम में इस स्कीम के तहत 27.07.2026 तक कुल 42,035 ईवी बची गई है जिनमें से 8,003 ईवी कछार जिले में बेची गई। इसके अतिरिक्त, मूल उपकरण विनिर्माताओं को कुल ₹99.10 करोड़ की राशि के भुगतान के साथ असम में कुल 40,009 ईवी को प्रोत्साहन प्रदान किया गया ।

(ख): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत असम राज्य सहित अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की तैनाती के लिए ₹2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। असम से पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) की तैनाती के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): असम के कछार जिले के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ): कछार जिले सहित देशभर में इलेक्ट्रिक परिवहन, चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने और इलेक्ट्रिक एवं वाणिज्यिक वाहनों (ईवी) के तीव्र अंगीकरण के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है :

(i) **भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II:** सरकार द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान किया गया। फेम इंडिया स्कीम - चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,297 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही, देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत ₹912.50 करोड़ की राशि आवंटित की गई।

(ii) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

(iii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 09.06.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों के स्तरोन्नयन के लिए भी अनुदान उपलब्ध है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन (40 लाख) से अधिक जनसंख्या वाले सात शहरों नामत: दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए 200 ई-बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम: 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्टिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की पंजीकरण नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक खरीद लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

*****